प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

2. राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ0प्र0।

3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद उ0प्र0।

4. शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0,लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2020

विषय: बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय परिसरों में जीर्ण–शीर्ण भवनों के ध्वस्तीरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 के विभिन्न अंचलों से समय–समय पर यह सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय परिसरों में विद्यालय हेतु नवीन भवन तो निर्मित हो चुका है परन्तु परिसर में जीर्ण–शीर्ण/क्षतिग्रस्त अवस्था में विद्यालय भवन निष्प्रयोज्य बने रहते हैं अथवा वर्तमान विद्यालय जीर्ण–शीर्ण/क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं ऐसे विद्यालयों के गिरने की संभावना भी बनी रहती है, जिससे बच्चों के जीवन को सदैव खतरा बना रहता है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 128/68–5–2019, दिनांक 28.06.2019 एवं शासनादेश सं0 728/68–5–2019, दिनांक 09.08.2019 के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय परिसरों में जीर्ण–शीर्ण भवनों के ध्वस्तीरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:–

1. विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का ध्वस्तीकरण निम्न स्थितियों में अनुमन्य किया जायेगा:–

(क) विद्यालयों की आयु पूर्ण हो जाने के कारण भवन के जीर्ण–शीर्ण होने, नींव कमजोर होने, एवं बैठने, छत के कमजोर होने, संरचना में किसी अवयव के क्षतिग्रस्त होने अथवा अन्य कारणों से विद्यालय अध्यासन से असुरक्षित होने की स्थिति में आ गया हो अथवा विद्यालय अनुपयोगी हो गया हो

(ख) विद्यालयों की आयु पूर्ण न हुयी हो परन्तु भवन के जीर्ण–शीर्ण होने, नींव कमजोर होने एवं, बैठने, छत के कमजोर होने, संरचना से किसी

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अवयव के क्षतिग्रस्त होने अथवा अन्य कारणों से विद्यालय अध्यासन से असुरक्षित होने की स्थिति में आ गया हो अथवा विद्यालय अनुपयोगी हो गया हो।

2. विद्यालयों के ध्वस्तीकरण पर विचार कर ध्वस्तीकरण के बारे में संस्तुति किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक **"तकनीकी समिति"** गठित की जायेगी, जिसमें ***सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा*** एवं ***सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई*** सदस्य होगें।

3. ध्वस्तीकरण योग्य भवनों का चिन्हांकन कराकर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी सूची समस्त विवरण यथा भवन के निर्माण का वर्ष, लागत, बुक वैल्यू, निर्माण प्रभारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम आदि सहित, समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. उपर्युक्तानुसार गठित समिति द्वारा विद्यालयों के सम्बन्ध में विस्तृत तकनीकी टिप्पणी एवं विद्यालय का मूल्यांकन कर ***कम्प्यूटेड वैल्यू*** तथा ***विस्तृत मूल्यांकन*** आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

5. ऐसे विद्यालय जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु. 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6. ऐसे विद्यालय जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु. 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) से अधिक एवं रु. 10.00 लाख (रूपये दस लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

7. ऐसे विद्यालय जिनकी आयु पूर्ण नहीं हुई है और जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु. 10.00 लाख (रूपये दस लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

8. उपर्युक्त में से ऐसे विद्यालय जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं है और जिनमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होने के फलस्वरूप अथवा बिना किसी प्राकृतिक आपदा के ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया जाता है तो उस दशा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दोषी निर्माण प्रभारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Raj-G O 1510.doc

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

9. ध्वस्तीकरण के लिये स्वीकृत भवन की नीलामी कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी सदस्य होगें।

10. नीलामी से प्राप्त धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में जमा की जायेगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना इस प्रकार से जमा की गयी धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही अधिकतम 03 माह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner